



GOVERNMENT (AUTONOMOUS) GIRLS POST GRADUATE COLLEGE OF EXCELLENCE, SAGAR (M.P.)

(NAAC 'A' Grade Accredited)

☎ 07582 404480 ✉ heggpgcsag@mp.gov.in 🌐 www.gggpgcs.com



CRITERION - III

RESEARCH, INNOVATIONS AND EXTENSION

3.2

Resource Mobilization for Research



GOVERNMENT (AUTONOMOUS) GIRLS POST GRADUATE COLLEGE OF EXCELLENCE, SAGAR (M.P.)

(NAAC 'A' Grade Accredited)

☎ 07582 404480 ✉ heggpgcsag@mp.gov.in 🌐 www.gggpgcs.com



Recognizing Faculty as Research guides 2018–2023

Content

S. No.	Detail	Page Number
1.	Recognizing Faculty as Research guides 2018–2023	1-30

दिनांक 20/06/2023

प्रति

श्री अकिल नेमा

S/o श्री कृष्ण कुमार नेमा, एम.आई.जी. 43, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
एशबाग जिला- भोपाल (म.प्र.)- 482010

विषय-

शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के समाजशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 04.06.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केन्द्र - समाजशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक - डॉ. संजय खरे, सह-प्राध्यापक, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक - निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 01.08.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं

निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य विकास में आंगनवाड़ी की भूमिका (सागर शहर के विशेष संदर्भ में)
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- निरंक
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- टॉपिक अनुमोदित, पूर्ण Synopsis पुनः जमा करें सुधारकर



महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442,

E-mail – mchhatrasaluniversity@gmail.com

क्रमांक 2853/2023

छतरपुर दिनांक 10.06.2023

प्रति

श्रीमती नीरज गौड

W/o श्री भगवानदास आदिवासी, ग्राम व पोस्ट-मवई

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)- 472001

विषय-

शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के समाजशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 04.06.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केन्द्र – समाजशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक – डॉ. संजय खरे, सह-प्राध्यापक, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक – निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 15.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं

निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- " सौर जनजाति में आधुनिकीकरण का प्रभाव एवं शिक्षा का स्तर- एक समाजशास्त्रीय अध्ययन " (टीकमगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में)
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- निरंक
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संदर्भ सूची में सुधार

पृ.क्रमांक 2853/2023

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
4. संबंधित की नस्ती हेतु।

शोध एवं विकास
छतरपुर दिनांक 10/06/2023

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
संबंधित शोध केन्द्र की ओर

सहायक कुलसचिव
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442.

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

क्रमांक B225/2023

छतरपुर दिनांक 26.05.23

प्रति

कु. दिव्या खरे

D/o . श्री राजेश कुमार खरे, 119 विद्यासागर इलेक्ट्रिकल के पास, गली न. 2
रामपुरा वार्ड, सागर (म.प्र.) - 470001

विषय-

शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के राजनीतिशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 27.05.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केंद्र - राजनीतिशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केंद्र, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक - डॉ. रजनी दुबे, प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक - निरंक


को मान्य करते हुए दिनांक 13.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-


1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- निरंक
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- **A Study of Political Modernization in Madhya Pradesh (from 1956 to present)**
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संशोधित रूपरेखा एक माह में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें।

पृ. क्रमांक /B226/ 2023

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केंद्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा गोपनीय की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. संबंधित की नस्ती हेतु।


निर्देशक
शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)


सहायक कुलसचिव
शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

Sociology

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स: 07682-244442,

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

छतरपुर दिनांक 10.06.2023

कमांक 2857/2023

प्रति

श्री अयधेश प्रताप सिंह

S/o श्री प्रीतम सिंह, 431, बार्ड नं. 08

निवाड़ी (म.प्र.)- 472442

विषय-

शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा दिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के समाजशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 04.06.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केन्द्र - समाजशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय स्वशारी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक - डॉ. रश्मि दुबे, प्राध्यापक, शासकीय स्वशारी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक - निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 18.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव (छतरपुर जिले के नौगांव तहसील के विशेष संदर्भ में)
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- निरंक
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- उपकल्पना में संशोधन, संदर्भ ग्रंथ सूची में सुधार

निर्देशक

शोध एवं विकास
छतरपुर दिनांक 10.06.2023

पू.कमांक 2857/2023

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
4. संबंधित की नस्ती हेतु।

सहायक कुलसचिव
अकादमिक

महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, छतरपुर

दिनांक 10/06/2023

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक शासन

कार्यालय फोन: 07682-244442

फैक्स: 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

छतरपुर दिनांक... 10/08/2023

क्रमांक 2856/2023

प्रति

श्रीमती गीता संहितास

W/o श्री बालचंद्र अहिरवार, 431 लक्ष्मीनारायण का नगीचा, वार्ड नं. 06

गोपालराय, जिला- सागर (म.प्र.)- 470002

विषय-

शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के समाजशास्त्र विद्या की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 04.06.2023 को सम्पन्न हुई।

(अ) शोध केन्द्र - समाजशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक - डॉ. रश्मि दुबे, प्राध्यापक, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक - निरंक

को गान्य करते हुए दिनांक 07.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं

निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- सागर जिले के शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यरत महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- निरंक
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- उपकल्पना में संशोधन, संदर्भ सूची में संशोधन, उत्तरदाताओं को स्पष्ट करना है।

शोध निर्देशक 01/08/23

महा... शोध एवं विकास
छतरपुर दिनांक... 10/08/2023

क्रमांक 2856/2023

तेलिपि-

1. संबंधित सहायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ

2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।

संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।

संबंधित की तरफ से।



महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन) कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442

E-mail – mchhatrasaluniversity@gmail.com

कमाक/पी-एच.डी./..37.39/2023

छतरपुर दिनांक...19/07/2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क. 11 की कंडिका 9(b) तथा 10 के प्रावधानों के तहत विषय प्राणीशास्त्र की शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) ने निम्न शोधार्थियों को तालिका अनुसार निर्देशक/सहनिर्देशक तथा शोध केन्द्र अनुशासित किए हैं। जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं।
विषय-प्राणीशास्त्र संकाय-जीवन विज्ञान संकाय

S No.	Roll No.	Name	Category	Research Supervisor / Co-Supervisor	Research center
1		PURUSHOTTAM KUMAR PRAJAPATI	UR	डॉ. कृष्णकांत गंगोले, सहा. प्राध्यापक	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
2	20230761	SHIVANI CHATURVEDI	UR	डॉ. आरती शर्मा, सहा. प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय, पृथ्वीपुर/ डॉ. आस्था द्विवेदी, सहा. प्राध्यापक, शासकीय पी.जी. महा., टीकमगढ़	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
3	20230755	SAMRA KHANAM	OBC	डॉ. सुनीता सिंह, प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
4	20230766	SUMAN AHIRWAL	SC	डॉ. नेहा जैन, सहा. प्राध्यापक	ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दमोह
5	20230746	PRAHLAD SINGH PARASTE	ST	डॉ. नेहा जैन, सहा. प्राध्यापक	ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दमोह
6	20230770	VIKAS GUPTA	GEN	डॉ. आस्था द्विवेदी सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
7	20230747	PRIYA DWIVEDI	GEN	डॉ. गौरी सनागो, प्राध्यापक	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
8	20230713	ANAMIKA PATEL	OBC	डॉ. आस्था द्विवेदी सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
9	20230753	ROSHNI SINGH	GEN	डॉ. रसमय दत्ता, सहा. प्राध्यापक	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
10	20230731	HARISH KUMAR DUBEY	EWS	डॉ. राममनोहर अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
11	20230739	KASHI RAM	SC	डॉ. राममनोहर अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़

P.T.O.



महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442,

E-mail – mchhatrasaluniversity@gmail.com

कमांक ३०४५/२०२३

छतरपुर दिनांक 19/06/2023

प्रति

श्री संजय दोहरे

S/o श्री रामअवतार दोहरे, गणेश मेडिकल स्टोर, झंडा चौक
गोपालगंज, सागर (म.प्र.)- 470001

विषय- शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि जीवन विज्ञान संकाय के प्राणीशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 31.05.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केन्द्र – प्राणीशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय स्वशासी कन्या पी.जी.

उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक – डॉ. सुनीता सिंह, प्राध्यापक, शासकीय स्वशासी कन्या पी.जी.

उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक – निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक ...07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- निरंक
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- **Ecological studies of Earthworms in Soyabean Cultivated Field of Sagar District of Madhya Pradesh, India.**
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संशोधित रूपरेखा एक माह में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें।

पृ.कमांक ३०४५/२०२३
प्रतिलिपि:-

5/5
17/7/23

निर्देशक
शोध एवं विकास भारी
छतरपुर दिनांक 19/06/2023
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. संबंधित की नस्ती हेतु।

सहायक कुलसचिव
अकादमिक

कमांक 3086/2023

प्रति

श्री राकेश कुमार साकेत

S/o श्री रामस्वयम्बर साकेत , ग्राम-मझियार, तहसील- सिरमौर
रीवा (म.प्र.)- 486448

विषय- शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि जीवन विज्ञान संकाय के प्राणीशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 31.05.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें (अ) शोध केन्द्र – प्राणीशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय स्वशासी कन्या पी.जी.

उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक – डॉ. सुनीता सिंह , प्राध्यापक, शासकीय स्वशासी कन्या पी.जी.

उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक – निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक ...07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न

निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- निरंक
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- **Study on the Effect of Plant Based Biopesticides against Diamond back Moth (DBM) Plutella Xylostella (L.) Infesting Cole Crops (Cauliflower and Cabbage) in Sagar District of Madhya Pradesh, India.**
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संशोधित रूपरेखा एक माह में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें।

518
13/06/23

निदेशक

शोध एवं विकास

छतरपुर दिनांक...19.06.2023

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

पृ.कमांक/3086/2023

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. संबंधित की नस्ती हेतु।

सहायक कुलसचिव
अकादमिक



महाराजा छत्रसाल बुदलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कार्यालय फोन: 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442,

E-mail – mchhatrasaluniversity@gmail.com

कमांक/3020/2023

छतरपुर दिनांक.....15/06/2023

प्रति

कृ. नम्रता जैन

D/o श्री नरेन्द्र कुमार जैन, कटरा बाजार, नगर पालिका के पीछे, वार्ड नं. 8

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.) - 472001

विषय-

शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि वाणिज्य संकाय के वाणिज्य विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 27.05.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें


(अ) शोध केन्द्र - वाणिज्य अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक - डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक - निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 20.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- निरंक
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- " सागर संभाग में खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास एवम् रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन "
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संशोधित रूपरेखा एक माह में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें।



निदेशक

शासकीय शोध एवं विकास
छतरपुर दिनांक 15/06/2023
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

पृ.कमांक 3020/2023

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. संबंधित की नस्ती हेतु।


सहायक कुलसचिव
अकादमिक
महाराजा छत्रसाल बुदलखण्ड
वि. वि. कानपुर (म.प्र.)

क्रमांक 2688/2023

प्रति

श्री मयूरेश नामदेव

S/o श्री मदन कुमार नामदेव , एल.आई.जी 1136B

दीनदयाल नगर, ग्राम- गमीरिया, सागर (म.प्र.)- 470004

विषय- शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा शोध उपनिर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के मनोविज्ञान विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 01.06.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें

(अ) शोध केन्द्र - मनोविज्ञान अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय कन्या पी.जी. उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक - डॉ. संतोष कुमार गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय कन्या पी.जी. उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक - निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 11.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- **"Emotional Intelligence and Coping Behavior in Internet Gaming Addict and Non-Addict"**
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- निरंक
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- निरंक

शोध निर्देशक
 सह-शोध एवं विकास
 छतरपुर दिनांक 2-6-2023

पृ.क्रमांक 2688/2023
 प्रतिलिपि:-


1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी/ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
4. संबंधित की नस्ती हेतु।

सहायक कुलसचिव
 आकादमिक

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क. 11 की कंडिका 9(b) तथा 10 के प्रावधानों के तहत विषय इतिहास की शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) ने निम्न शोधार्थियों को तालिका अनुसार निर्देशक / सहनिर्देशक तथा शोध केन्द्र अनुशंसित किए हैं। जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं।
विषय— इतिहास संकाय—सामाजिक विज्ञान संकाय

S No.	Roll No.	Name	Category	Research Supervisor / Co-Supervisor	Research center
1	20230456	SAKSHI GUPTA	GEN	डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
2	20230453	RENU SOLANKI	GEN	डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
3	20230468	VANDANA CHOUBEY	GEN	डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
4	20230428	DAMINI PATERIYA	EWS	डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
5	20230439	NEELESH KUMAR BALAHI	SC	डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
6	20230461	SHARDHA RATHOUR	GEN	डॉ. मुक्ता मिश्रा, प्राध्यापक म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
7	20230441	NILESH SINGH	OBC	डॉ. मुक्ता मिश्रा, प्राध्यापक म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
8	20230445	PRATEEKSHA MISHRA	EWS	डॉ. मुक्ता मिश्रा, प्राध्यापक म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
9	20230449	RAJESH KUMAR GUPTA	GEN	डॉ. मुक्ता मिश्रा, प्राध्यापक म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
10	20230462	SHEKH TAJ HASAN	GEN	डॉ. अरुणा एम. जैन, प्राध्यापक शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह / डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
11	20230426	AVDHESH AHIRWAR	SC	डॉ. अरुणा एम. जैन, प्राध्यापक शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय, दमोह / डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर



6. Anika Dangi
Thakar

Dr. Naveen
Gideon

Coor. C.A.P.G College
Lagan

P.T.O.

12	20230448	RAJARAM AHIRWAR	SC	डॉ. विनय कुमार श्रीवास्तव, सह. प्राध्यापक शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
13	20230902	PYARE LAL AHIRWAR	SC	डॉ. विनय कुमार श्रीवास्तव, सह. प्राध्यापक शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
14	20230458	SAPANA CHAURASIA	OBC	डॉ. नीरज निरंजन, सहा. प्राध्यापक शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़ / डॉ. मुक्ता मिश्रा, प्राध्यापक म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
15		VIVEK KUMAR JARIYA	OBC	डॉ. नीरज निरंजन, सहा. प्राध्यापक शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़ / डॉ. मुक्ता मिश्रा, प्राध्यापक म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
16	20230427	BINIT KUMAR SINHA	GEN	डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, सहा. प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, नरयावली, सागर / डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
17		SHIVANI SAHU	OBC	डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, सहा. प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, नरयावली, सागर / डॉ. नवीन गिडियन, प्राध्यापक शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर

शोध प्रकोष्ठ प्रभारी

निदेशक शोध एवं विकास
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
पृ. क्रमांक / पी-एच.डी. / 2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, शोध एवं विकास म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. आई.टी. प्रकोष्ठ प्रभारी की ओर बेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
7. मूल नस्ती।

निदेशक शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

कुलसचिव

छतरपुर दिनांक 19/07/2023
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

|||

शा. क-या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)


विषय : शोध करने वाले शोधार्थियों की सूची
कार्यालय को उदान करने के सम्बंध में।

महोदय

कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार रसायन
शास्त्र विभाग में शोधार्थियों की जानकारी पाई
गई थी। जो निम्न प्रकार है।

शोध निर्देशक का नाम :- डॉ. संतोष नारायण चंद्र
शोधार्थियों की सूची :-

<u>शोधार्थियों के नाम</u>	<u>शीर्षक</u>	<u>पंजीयन तिथि</u>
1 Deshraj Singh thakur	Synthesis characterization and Application of Biochar/Nano Composite Materials for the removal of pollutant from waste water through Adsorption.	20.07.23
2 Mandkicher Lodhi -	Synthesis, characterization, and Application of Biochar/Biomass Biochar Nanocomposites for the Treatment of Waste water	20.07.23
3 Ashish Raikwar -	Synthesis, characterization and uses of Biomass/ Biochar Nanocomposite in Waste water treatment	20.07.23
4 Bhojraj Jharbade -	Synthesis characterization and Application of Biochar Nanocomposites for the Treatment of waste water.	20.07.23


20/7/23
HEAD
Department of Chemistry
Govt. (Auto.) Girls P. G. College
Excellence Sagat (M.P.)



महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, उत्तरप्रदेश

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन) कार्यालय फोन: 07682-244442,
फैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

छतरपुर दिनांक... 19/10/2023

कमांक/पी-एच.डी./ 3746.../2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क्र. 11 की कंडिका 9(b) तथा 10 के प्रावधानों के तहत विषय रसायनशास्त्र की शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) ने निम्न शोधार्थियों को तालिका अनुसार निर्देशक/सहनिर्देशक तथा शोध केन्द्र अनुशंसित किए हैं। जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं।
संकाय- विज्ञान संकाय
विषय-रसायनशास्त्र

S No.	Roll No.	Name	Category	Research Supervisor / Co-Supervisor	Research center
1		VINOD KUMAR SAHU	OBC	डॉ. आनंद कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
2	20230075	CHINMAY SEN	OBC	डॉ. आनंद कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक	यू.टी.डी. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
3	20230089	NANDKISHOR LODHI	OBC	डॉ. संतोष नारायण चट्टार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
4	20230078	DESHRAJ SINGH THAKUR	OBC	डॉ. संतोष नारायण चट्टार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
5	20230073	BRAJESH KUMAR DOHRE	SC	डॉ. मनोरमा गुप्ता, सह. प्राध्यापक	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
6	20230077	DEEPTI KHEWARIYA DIXIT	GEN	डॉ. राजेश कुमार सेनी, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
7	20230090	NEERAJ BALAHI	SC	डॉ. शुचिता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक	ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दमोह
8	20230068	ANAMIKA SINGH	GEN	डॉ. मुकेश कुमार अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
9		ASHISH RAIKWAR	OBC	डॉ. संतोष नारायण चट्टार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
10	20230072	BHOJRAJ JHARBADE	SC	डॉ. संतोष नारायण चट्टार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर
11	20230099	PRIYANKA RAIKWAR	OBC	डॉ. मनोरमा गुप्ता, सह. प्राध्यापक	शासकीय छत्रसाल पी.जी. महाविद्यालय, पन्ना
12	20230102	RAJNI ROY	GEN	डॉ. मुकेश कुमार अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
13	20230097	PRIYA NAGWANSHI	SC	डॉ. मुकेश कुमार अहिरवार, सहा. प्राध्यापक	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, टीकमगढ़
14	20230081	DURGA AHIRWAL	SC	डॉ. शुचिता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक	ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दमोह

संकायाध्यक्ष

पृ.कमांक/पी-एच.डी./ 3746.../2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. निर्देशक, शोध एवं विकास म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. आई.टी. प्रकोष्ठ प्रभारी की ओर बेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सूचना पटल पर चरसा करने हेतु।
7. मूल नस्ती।

संकायाध्यक्ष

कुलसचिव

छतरपुर दिनांक 19/10/2023
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन) कार्यालय फोन : 07682-244442,

फैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

आजादी
अमृत महोत्सव

कमाक/पी-एच.डी./2023/2023

छतरपुर दिनांक.....19.07.2023

अधिसूचना

विज्ञान संकायान्तर्गत रसायनशास्त्र विषय की शोध परामर्श समिति (RAC) द्वारा शोध प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 11/07/2023 को लिये गये। म.प्र. शासन के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सफल एवं प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की सूची निम्नानुसार जारी की जाती है। सफल अभ्यर्थी दिनांक 20/07/2023 तक ऑनलाइन लिंक <https://mcbu.mponline.gov.in/portal/Services/MCBU/Dashboard.aspx> के माध्यम से कोर्स वर्क राशि पच्चीस सौ रुपये (2500/-) तथा पांच सौ रुपये (500/-) शोध आवेदन शुल्क कुल तीन हजार रुपये (3000/-) अनिवार्यतः जमा करें अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

मुख्य सूची

क.	रोल नं.	नाम	संवर्ग	प्राप्तांक / 100
1		VINOD KUMAR SAHU	OBC	74.33 (Provisional)
2	20230075	CHINMAY SEN	OBC	71.33
3	20230089	NANDKISHOR LODHI	OBC	70.33
4	20230078	DESHRAJ SINGH THAKUR	OBC	69
5	20230073	BRAJESH KUMAR DOHRE	SC	69
6	20230077	DEEPTI KHEWARIYA DIXIT	GEN	68.33
7	20230090	NEERAJ BALAHI	SC	68.33
8	20230068	ANAMIKA SINGH	GEN	68.33 (Provisional)
9		ASHISH RAIKWAR	OBC	67.66
10	20230072	BHOJRAJ JHARBADE	SC	67
11	20230099	PRIYANKA RAIKWAR	OBC	64.66
12	20230102	RAJNI ROY	GEN	64.66
13	20230097	PRIYA NAGWANSHI	SC	63.33
14	20230081	DURGA AHIRWAL	SC	60.6
15	20230070	ARUN KUMAR SAKET	SC	31 (Fail)
16	20230100	RAJARAM AHIRWAR	SC	26.6 (Fail)

प्रतीक्षा सूची

क.	रोल नं.	नाम	संवर्ग	प्राप्तांक / 100
		निरंक		

अनुपस्थित एवं अपात्र सूची

क.	रोल नं.	नाम	संवर्ग	प्राप्तांक / 100
1	20230114	SUPRIYA JAIN	EWS	ABSENT
2		RAM DHARI PANDEY	GEN	ABSENT

हस्ताक्षर Research Advisory Committee

1. Chairperson/Dean Name..... Dr. A-K Saxena..... Signature.....

2. Member Name..... Dr. Archana Jain..... Signature.....

3. Member Name..... Dr. Anand Kumar Pandey..... Signature.....

4. Member Name..... Signature.....



फैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

अमृत-महीत्सव

कमांक/पी-एच.डी./.../2022

छतरपुर दिनांक.../.../2022


अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु अंगीकृत अध्यादेश क. 11 की कंडिका 9(b) तथा 10 के प्रावधानों के तहत विषय पुरतमालय एषियन विमान की शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee) ने निम्न शोधार्थियों को तालिका अनुसार निर्देशक/सहनिर्देशक तथा शोध केन्द्र अनुशंसित किए हैं। जो उन्हें आवंटित किए जाते हैं।

विषय-

संकाय-


S No.	Roll No.	Name	Category	Research Supervisor / Co-Supervisor	Research center
1	20230772	प्रगति विलपदे	UR/EWS	डा. गुलाब देवी	शा. क. म. पी. जी. म. ए. सागर मंड.
2	20230788	परमत दीनकुमार	UR/OBC	- do -	- do -
3	20230774	राजी चट्टीक	SC	- do -	- do -
4	20230800	सत्यजित कुमार	SC	- do -	- do -
5					
6					
7					
8					
9					



संकायाध्यक्ष

पृ. कमांक/पी-एच.डी./.../2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. अकादमिक/शोध प्रकोष्ठ प्रभारी म.छ.बु.वि.वि., छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. आई.टी. प्रकोष्ठ प्रभारी की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सूचना पटल पर चरपा करने हेतु।
7. मूल नस्ती।


कुलसचिव 18/7/23
पुरतमालय
छतरपुर (म.प्र.) विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)


सहा. कुलसचिव
महाराजा चतुरसाल बुद्धलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)
वि. वि. (म.प्र.)



कमांक B225/2023

प्रति

क. दिव्या खरे

D/o , श्री राजेश कुमार खरे, 119 विद्यासागर इलेक्ट्रिकल के पास, गली नं. 2
रामपुरा वार्ड, सागर (म.प्र.) – 470001

विषय- शोध विषय के संबंध में शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना।

आपको सूचित किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय के राजनीतिशास्त्र विषय की शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee) की बैठक दिनांक 27.05.2023 को सम्पन्न हुई। इसमें


(अ) शोध केन्द्र – राजनीतिशास्त्र अध्ययनशाला एवं शोध केन्द्र, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(ब) शोध निर्देशक – डॉ. रजनी दुबे , प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, सागर

(स) सहशोध निर्देशक – निरंक

को मान्य करते हुए दिनांक 13.07.2022 से पंजीयन की अनुशंसा की गई एवं निम्न निर्णय लिया गया-

1. आपका शोध विषय निम्न अनुमोदित किया गया- निरंक
2. प्रस्तावित शोध विषय में संशोधित कर निम्न अनुसार अनुमोदित किया गया- **A Study of Political Modernization in Madhya Pradesh (from 1956 to present)**
3. प्रस्तावित शोध विषय को अस्वीकार किया गया- निरंक
4. समिति ने अन्य निम्न निर्देश दिए- संशोधित रूपरेखा एक माह में विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें।

पृ.कमांक /B226/ 2023
प्रतिलिपि:-निर्देशक
शोध एवं विकासरी
महाराजा छत्रसाल बुदेजखंड
छतरपुर दिनांक 26/6/23
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

1. संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला यू.टी.डी./ प्राचार्य, संबंधित शोध केन्द्र की ओर सूचनार्थ
2. संबंधित शोध निर्देशक/सहशोध निर्देशक की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा गोपनीय की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. संबंधित की नस्ती हेतु।

सहायक कुलसचिव
शोध प्रतिक्रिया प्रभारी
महाराजा छत्रसाल बुदेजखंड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

उदय सिंह चौहान

आत्मज श्री मंगल सिंह चौहान,

वार्ड नं. 39, चेतगिरी कालोनी

जिला-छतरपुर (म.प्र.) - 471001

:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 13.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220140 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 15P127C0040 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - छतरपुर जिले की ग्राम पंचायतों का वित्तीय विश्लेषण स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

जीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

व्यवहारानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं जीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी जीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर न-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। उनके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (40 दिवस) की पात्रता होगी।

वीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना निवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फॉर्मेट में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

अपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रेषित निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा

मागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी उदय सिंह चौहान के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध निर्देशक प्रेमचंद तिवारी
निदेशक, शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

विनोद कुमार अहिरवार

आत्मज श्री हरिराम अहिरवार,

म.नं. 624, एम.पी.ई.बी. रेस्ट हाउस के पास, संत रविदास वार्ड 16, नई मकरोनिया

जिला- सागर (म.प्र.) - 470004

प:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

फ:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका यन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 19.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220141 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0026 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले के आर्थिक विकास में सूक्ष्म वित्त के योगदान का

समीक्षात्मक मूल्यांकन " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी , प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

लिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रहित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी विनोद कुमार अहिरवार के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध निर्देशक प्रेमारी
निदेशक शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
वि.वि. छतरपुर

महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क्र/अकादमिक/शोध/2023/4452

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

अमित रैकवार

आत्मज श्री गंगाराम,

20/135, पांडे गली, शास्त्री वार्ड, टीसीपीसी के पीछे

सागर (म.प्र.) - 470002

:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

:- आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका अनिम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 18.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220103 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0019 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले के सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्योगों के कार्यवातावरण का प्रभावी कार्यक्षमता एवम् उत्पादकता पर प्रभाव " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

श्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर श्वविद्यालय में जमा करना होगा।

अवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के छ माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि जा सकती है। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हेला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। उनके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (10 दिवस) की पात्रता होगी।

पंजीयन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फॉर्मेट में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

पि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रेषित निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

प्राध्यापक/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी तैरैकवार के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारीयां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध उत्कृष्ट प्रभारी
निदेशक, शोध संकाय विकास एवं
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क/अकादमिक/शोध/2023/4447

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

सुप्रिया यादव

आत्मजा श्री राकेश यादव,

सिया इमाम वांडा, परकोटा वार्ड

जिला-सागर (म.प्र.) - 470002

i:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

ii:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 16.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220137 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0010 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - भारत में पर्यावरण लेखांकन की वर्तमान स्थिति एवं उपादेयता का मूल्यांकन विकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

अवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के छः माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि दी जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हेला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। उनके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (40 दिवस) की पात्रता होगी।

श्रीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना निवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फॉर्म में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

अपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रपिहित निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा

आगाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी या यादव के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रत्येक प्रमाणी
निर्देशक, शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
विश्वविद्यालय, छतरपुर

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क्रमांक/अकादमिक/शोध/2023/4465

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

ति

अरुण चौरसिया

आत्मज श्री श्यामलाल चौरसिया,

ग्राम व पोस्ट- छपरा, तहसील- रहली

सागर (म.प्र.) - 470227

प्रेषण:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

दिनांक:- आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका जीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 16.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220106 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0013 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कृषि क्षेत्र के विकास पर प्रभाव " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पी.डी.एफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी अरुण चौरसिया के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रकोष्ठ प्रभारी
निदेशक, शोध एवं निवेदन
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

नम्रता जैन

आत्मजा श्री नरेन्द्र कुमार जैन,

कटरा बाजार, नगर पालिका के पीछे, वार्ड नं. 8

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.) - 472001

य- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

म- आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका यिन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की प्रे अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 20.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220120 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ P190701A0156 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर संभाग में खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास एवम् रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी , प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

लिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रेषित हर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी नम्रता जैन के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रकोष्ठ प्रभारी
निदेशक, शोध एवं निवेदन
महाराजा अशोक विश्वविद्यालय, उत्तरपुर (म.प्र.)

नम्रता जैन

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क्रमांक/अकादमिक/शोध/2023/4460

प्रति

आदर्श खरे

आत्मज श्री राजेश खरे,

कटरा बाजार, विद्या सागर इलेक्ट्रिकल के पास, गली नं. 2, रमपुरा वार्ड
जिला- सागर (म.प्र.) 470001

विषय:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 14.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220101 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 151001C0044 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक **Impact of Human Resource Policies on Employees Efficiency and Performance in Bharat-Oman Bina Refinery.** स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. डी.के. गुप्ता, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

- अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।
- नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- शोध निर्देशक- डॉ. डी.के. गुप्ता, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।
- विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी आदर्श खरे के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रबंध प्रगति
निर्देशक, शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक प्राचार्य

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

अकादमिक / शोध / 2023 / 4450

छतरपुर दिनांक... 5/9/2023

उदय सिंह चौहान

आत्मज श्री मंगल सिंह चौहान,

वार्ड नं. 39, चेतगिरी कालोनी

जिला-छतरपुर, (म.प्र.) - 471001

वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की मंजूरी दी गई है। शोध पत्र की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220140 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 15P127C0040 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - छतरपुर जिले की ग्राम पंचायतों का वित्तीय विश्लेषण स्वीकृत किया जाता है।

निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जा रहे हैं।

शोध नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण करके विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

व्यक्तानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि जा सकती है। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हेला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। उनके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (40 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फॉर्मेट में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

अपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रपिठित रूप से निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

प्राध्यापक/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी उदय सिंह चौहान के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध निर्देशक प्रभारी
निर्देशक, शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
वि.वि. छतरपुर

प्रति

विनोद कुमार अहिरवार

आत्मज श्री हरिराम अहिरवार,

म.नं. 624, एम.पी.ई.बी. रेस्ट हाउस के पास, संत रविदास वार्ड 16, नई मकरोनिया

जिला- सागर (म.प्र.) - 470004

वेष्य:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की तिथि अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 19.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध कार्य की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220141 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0026 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले के आर्थिक विकास में सूक्ष्म वित्त के योगदान का समीक्षात्मक मूल्यांकन " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी , प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

तेलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रपिठ कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी विनोद कुमार अहिरवार के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रबंध प्रसारी
निदेशक शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायका कुलसचिव (अकादमिक)
वि.वि. छतरपुर

अमित रैकवार

आत्मज श्री गंगाराम,

20/135, पांडे गली, शास्त्री वार्ड, टीसीपीसी के पीछे

सागर (म.प्र.) - 470002

वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की थवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 18.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

का पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220103 है।

का नामांकन क्रमांक/Ph.D./22U003P0019 है।

के शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले के सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्योगों के कार्यवातावरण का वारी कार्यक्षमता एवम् उत्पादकता पर प्रभाव " स्वीकृत किया जाता है।

निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर मान्य किये हैं।

यन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. र रहेगा।

विद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के तहत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विद्यालय में जमा करना होगा।

सूचनानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के त्रि माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जाएगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर -पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

शुद्ध एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। के अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (0 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फॉर्मेट में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

अतिरिक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा. सागर की ओर अग्रेषित निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा

सहायक प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी अमित रैकवार के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रकोष्ठ प्रभारी
निदेशक, शोध संकाय विकास सं-ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

क/अकादमिक/शोध/2023/4447

छतरपुर दिनांक 5/9/2023

सुप्रिया यादव

आत्मजा श्री राकेश यादव,

सिया इमाम वाडा, परकोटा वार्ड

जिला-सागर (म.प्र.) - 470002

र:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

र:- आपका आवेदन दिनांक 15.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका यन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 16.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220137 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./22U003P0010 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - भारत में पर्यावरण लेखांकन की वर्तमान स्थिति एवं उपादेयता का मूल्यांकन वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

जीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

अवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं जीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी जीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के छ माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि दी जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

हेला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। उनके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश 40 दिवस) की पात्रता होगी।

शोध अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना निवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फॉर्मेट में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अग्रेषित निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

प्राध्यापक/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी या यादव के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रकोष्ठ प्रमुख
निदेशक, शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल बुन्दलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

अरुण चौरसिया

आत्मज श्री श्यामलाल चौरसिया,

ग्राम व पोस्ट- छपरा, तहसील- रहली

सागर (म.प्र.) - 470227

य:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

र्म:- आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कण्डिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की शर्त अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 16.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध प्रपत्र की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220106 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ 22U003P0013 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का कृषि क्षेत्र के विकास पर प्रभाव " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी , प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजने की कृपा कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

2. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी अरुण चौरसिया के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रकाश प्रभाषी
निर्देशक, शोध एवं विकास
महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)
विश्वविद्यालय, छतरपुर

नम्रता जैन

आत्मजा श्री नरेन्द्र कुमार जैन,

कटरा बाजार, नगर पालिका के पीछे, वार्ड नं. 8

जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.) - 472001

ध:- वाणिज्य में पी.एच.-डी. उपाधि हेतु पंजीयन।

म:- आपका आवेदन दिनांक 19.08.2023

वाणिज्य शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 27.05.2023 के निर्णयानुसार वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आपका पंजीयन निम्नांकित शर्तों के साथ नवीन अध्यादेश-11 की कंडिका-12 के तहत पंजीयन कोर्स वर्क शुल्क जमा करने की शर्त अथवा एम.फिल उत्तीर्ण छात्रों को पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथि 20.07.2022 से मान्य किया जाता है। शोध की गणना पंजीयन दिनांक से की जावेगी।

आपका पंजीयन क्रमांक/शोध/ Ph.D./CO220120 है।

आपका नामांकन क्रमांक/Ph.D./ P190701A0156 है।

आपके शोध विषय का शीर्षक - " सागर संभाग में खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास एवम् रोजगार पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन " स्वीकृत किया जाता है।

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर मान्य किये जाते हैं।

पंजीयन नियमित रूप से मान्य करते हुए आपका शोध केन्द्र - वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर रहेगा।

विश्वविद्यालय नवीन अध्यादेश-11 में वर्णित नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। अध्यादेश -11 की कण्डिका-20 के अंतर्गत छः माह के अन्तराल में शुल्क जमा करने की रसीद, प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय से पत्र व्यवहार अपने शोध निर्देशक के माध्यम से किया जाए। पत्र में विषय एवं पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

अध्यादेश-11 की कण्डिका-18 के अंतर्गत पंजीयन तिथि से शोध कार्य की अवधि 06 वर्ष की होगी। प्रावधानानुसार शोधार्थी पंजीयन तिथि से 03 वर्ष के पहले शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर सकेगा। 06 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व समय वृद्धि हेतु आवेदन पत्र औचित्य सहित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर शोध अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी। समय वृद्धि हेतु रु. 2000/- शुल्क देय होगा। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर पंजीयन स्वयं निरस्त माना जावेगा। एक वर्ष की समय वृद्धि की समय-सीमा समाप्त उपरान्त प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर पुनः-पंजीयन की पात्रता तीन वर्ष की होगी। किन्तु किसी भी दशा में शोध कार्य की सम्पूर्ण अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महिला एवं विकलांग शोधार्थियों (जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं) को 02 वर्ष अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त महिला शोधार्थियों को इनके सम्पूर्ण शोध कार्य अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश (240 दिवस) की पात्रता होगी।

नवीन अध्यादेश-11 की धारा- 23 (ए) के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तीन माह पूर्व शोध संक्षेपिका की छः प्रति निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा एवं कण्डिका- 24 (ए) के अंतर्गत कम से कम एक शोध पत्र मान्य शोध पत्रिका में प्रकाशित कराना होगा। शोध कार्य के दौरान शोधार्थी को संगोष्ठी में 02 शोध पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शोधार्थी के शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व Plagiarism संबंधी प्रमाण-पत्र एवं शोध प्रबंध के साथ दो सी.डी. (पीडीएफ फाइल में) संलग्न करना आवश्यक होगा।

लिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

शोध निर्देशक- डॉ. आनंद तिवारी, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर अप्रेषित कर निवेदन है कि शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति संबंधी सूचना विश्वविद्यालय को समय-समय पर भेजने की कृपा करें।

विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, शास. कन्या उत्कृष्ट पी.जी. महा., सागर की ओर भेजकर निवेदन है कि शोधार्थी नम्रता जैन के संबंध में अध्यादेश के तहत जानकारियां संकलित रखने की कृपा करें।

शोध प्रकोष्ठ प्रभारी
निदेशक, शोध एवं विकास
महाराजा अशोक बुद्धलक्षण
विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

नम्रता जैन